न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा
बइजलास संजीव कुमार शर्मा(आर.ए.एस.)

मि0 नं0 31/2019 (प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 136)

1. मंगू मोहम्मद पुत्र भंवर खां।
2. ईद मोहम्मद पुत्र भंवरखां जातियान नीलगर मुस्लमान निवासीगण नियाणा पंचायत झालरी तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासीगण नई मस्जिद के पास, अनन्तपुरा कोटा।

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र वास्ते
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री रामप्रसाद नागर – वकील प्रार्थी
2. राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 12.03.2020

प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान परिवारजन प्रार्थीगण के सम्मिलित खाते व कब्जे काश्त की ग्राम नियाणा व गरमोडी तहसील कनवास में निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित हैः–

अ– नया खाता संख्या–11 सम्वत 2068 ता0 2071 खसरा नबंर 43 की 0.40 है0, खसरा नबंर 92 की 0.28 है0, खसरा नबंर 100 की 0.20 हे0, खसरा नबंर 105 की 0.04 है0, खसरा नबंर 113 की 0.21 है0, खसरा नबंर 137 की 0.04 है0, खसरा नबंर 149 की 0.10 है0, कुल 07 किता की 1.27 है0,नाम खातेदारान–चन्द्र हुसैन, ईद मोहम्मद, मंगू मोहम्मद पिसरान भंवर खां जाति नीलगर मुस्लमान साकिन नियाण।

ब– विवरण भूमि ग्राम नियाणा
नया खाता संख्या 14 सम्वत 2072 ता0 2075 खसरा नबंर 21 रकबा 19.25 है0, नाम खातेदारान चन्द्रसेन, शुबराती, ईदा, मांगू, पिसरान भंवरलाल लूंगा बेवा भंवरलाल, ख्वाजू, कमरूददीन, सद्वीक, जाकिर, पुत्रान मसरूददीन, नूर मोहम्मद, शौकत हुसैन, इकराम हुसैन, रफकी मोहम्मद पुत्रान जमान कौम नीलगर मुस्लमान साकिन देह नियाण,
नोटः– ख्वाजू के स्थान जर्ये न्यायालय आदेश ख्वाज मोहम्मद, सद्वीक के स्थान पर सिद्विक हुसैन तथा जाकिर के स्थान पर जाकिर हुसैन दर्ज किया जा चूका है।

स– विवरण भूमि ग्राम गरमोडी

नया खाता संख्या–6 सम्वत–2070 ता 2072 कुल खसरा 06 रकबा 4.31 है0, खातेदारान के नाम–चन्द्रसेन पुत्र शुबराती, ईदा, मंगू, पिसरान भंवरलाल लूंगा बेवा भंवरलाल, मांगी पुत्री भंवरलाल, नूर मोहम्मद, शौकत हुसैन, इकराम हुसैन, रफीक मोहम्मद पुत्रान जमाल, ख्वाज

उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

मोहम्मद, कमरूद्दीन, सद्दीक, जकिर पुत्रान मसरूद्दीन जाति नीलगर मुस्लमान निवासीगण नियाणा।

2. यह कि ग्राम नियाणा पंचायत झालरी के खाता संख्या 11 में अंकित विवरण मुताबिक नाम काश्तकारान में नाम नियाणा के खाता संख्या –14 तथा ग्राम गरमोडी के खाता संख्या–6 में भी प्रार्थीगण का नाम ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद दर्ज न किया जाकर केवल ईदा व मंगू ही दर्ज किया हुआ है, जिसे प्रार्थीगण ग्राम नियाणा के खाता नम्बर –11 के इन्द्राज मुताबिक ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद पिसरान भंवर खां नीलगर मुस्लमान संशोधित करवाना चाहते है।

यह कि प्रार्थीगण को देहात गांव नियाणा में संक्षिप्त ईदा व मंगू के नाम से बचपन में पुकारा जाने से ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद के स्थान पर संक्षिप्त नाम ईदा व मंगू दर्ज हो गया है। प्रार्थीगण के पिता का नाम भी भंवरलाल के स्थान पर भंवर खां है। उक्त सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप प्रार्थीगण के आधार कार्ड की फोटो प्रतियां प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम नियाणा व गरमोडी के प्रार्थीगण के सभी खातों में एक समान इन्द्राज किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थीगण द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर ग्राम नियाण तहसील कनवास के खाता संख्या 14 व गरमोडी के खाता नम्बर 06 में ईदा व मंगू पिसरान भंवरलाल के स्थान पर ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद पिसरान भंवर खां नीलगर मुस्लमान साकिन नियाणा नाम काश्तकारान संशोधित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जारी की गई, अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 19.09.2019 को जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि प्रार्थी अपना नाम ईदा व मंगु पुत्र भंवरलाल के स्थान पर क्रमशः ईद मोहम्मद पुत्र भंवरखां व मंगू मोहम्मद पुत्र भंवरखां जाति नीलगर कराना चाहता है, जिसमें राजहित प्रभावित नंही होता है। अतः ईद मोहम्मद पुत्र भंवरखां व मंगु मोहम्मद पुत्र भंवर खां जाति नीलगर करने में प्रतिवादी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में संलग्न जवाब सरकार की अभिशंषा एवं नकल जमाबंदी सम्वत 2068–71 , आधार कार्ड की प्रतियों में भी प्रार्थीगण का नाम क्रमशः ईद मोहम्मद, मंगु मोहम्मद पुत्रान भंवरखा ज़ाति नीलगर मुस्लमान दर्ज है।

अतः हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं जवाब सरकार के आधार पर प्रार्थीगण का नाम ग्राम नियाणा तहसील कनवास के खाता संख्या 14 व ग्राम गरमोडी के खाता संख्या 06 में ईदा व मंगू पिसरान भंवरलाल के स्थान पर ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद पिसरान भंवर खां जाति नीलगर मुस्लमान दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नियाणा तहसील कनवास के खाता संख्या 14 व ग्रान गरमोडी के खाता संख्या 06 में ईदा व मंगू पिसरान भंवरलाल के स्थान पर ईद मोहम्मद व मंगू मोहम्मद पिसरान भंवर खां जाति नीलगर मुस्लमान दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार कनवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा